

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर के ज्ञापांक(कॉलम 4 में वर्णित)से दुर्घटना में मृत 02 श्रमिकों के आश्रितों को ₹ 100000/- (एक लाख रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 200000/- (दो लाख रूपए) एवं 03 श्रमिक के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत आश्रितों को ₹ 30000/- (तीस हजार रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 90000/- (नब्बे हजार रूपए) अर्थात् कुल राशि ₹ 290000/- (दो लाख नब्बे हजार रूपए) मात्र भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

| क्र. सं. | मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि       | आश्रित का नाम( संबंध )      | जिलाधिकारी/ श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक | पता   | आश्रित का बैंक खाता संख्या | बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस. सी | स्वीकृत अनुदान की राशि    | मृत्यु/ निःशक्ता का खीरा, कार्य की प्रकृति  |
|----------|--|-----------------------------|--|---|----------------------------|------------------------------------|---------------------------|---|
| 1        | 2  | 3                           | 4  | 5   | 6                          | 7                                  | 8                         | 9   |
| 1        | स्व० उपेन्द्र राम, 52, श्री परमेश्वर राम, सामान्य      | श्रीमती मीना देवी(पत्नी)    | 772/04. 07.15                              | ग्रा०-अजनाल डीह, पो०+था०+प्र०-दलसिंहसराय, समस्तीपुर                   | 41500201 0052308           | Union Bank, UBIN05415 08           | ₹ 30000/- (तीस हजार रूपए) | स्वाभाविक मृत्यु, मनरेगा मजदूरी             |
| 2        | स्व० अरविंद पासवान, 36, स्व० महेश्वर पासवान, अनु० जाति | श्रीमती रेखा देवी (पत्नी)   | तदैव                                       | ग्रा०+पो०-जनकपुर, था०+प्र०-उजियारपुर, समस्तीपुर                       | 33503787 728               | SBI SBIN000360 0                   | ₹ 100000/- (एक लाख रूपए)  | दुर्घटना मृत्यु, राजमिस्त्री                |
| 3        | स्व० सरोज कुमार सिंह, 24, पि० जाति                     | श्री राम जयन सिंह(पिता)     | 62/15.1. 10                                | ग्रा०-शहबाजपुर मेहनया, पो०-कनरौप, था०+प्र०-दलसिंहसराय, समस्तीपुर      | 45651010 07888             | Canara Bank, CNRB00045 65          | ₹ 30000/- (तीस हजार रूपए) | स्वाभाविक मृत्यु, गौशाला में दैनिक मजदूर    |
| 4        | स्व० पांचु पासवान, 56, स्व० राम शरण पासवान, अनु० जाति  | श्रीमती समुद्री देवी(पत्नी) | 208/04. 02.16                              | ग्रा०-बलहा जयनारायण, पो०-बलहा, था०-चकमेहसी, प्र०-कल्याणपुर, समस्तीपुर | 75342240 000637            | सिंडिकेट बैंक, SYNB00075 34        | ₹ 30000/- (तीस हजार रूपए) | स्वाभाविक मृत्यु, कृषि श्रमिक               |
| 5        | स्व० नन्द साह साह, 35, स्व० कृष्ण साह, पि० वर्ग        | श्रीमती अनीता देवी(पत्नी)   | तदैव                                       | ग्रा०-ढाव मुहल्ला, पो०+था०+प्र०-रोसड़ा, समस्तीपुर                     | 50288258 267               | Allhabad Bank, ALLA0213279         | ₹ 100000/- (एक लाख रूपए)  | दुर्घटना मृत्यु, बिस्कुट फैक्ट्री में मजदूर |

कुल :- ₹ 290000/-

(दो लाख नब्बे हजार रूपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8)का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति-सह-अपर मुख्य सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का संचिका सं० श्रम क० सं०-32/2019 के पृष्ठ-45/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(धर्मेन्द्र सिंह)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० सं०-32/2019

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित



करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे।

ह0/-

(डा0 गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह0/-


(धर्मेन्द्र सिंह)


कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० स०-32/2019-५१

पटना, दिनांक :-१०-०१-१०१०

प्रतिलिपि :- लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 290000/- (दो लाख नब्बे हजार रूपए) का बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/ श्रम अधीक्षक, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/ जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर को सूचनार्थ प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग(विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/ माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

  
4/02/2020  
(डा0 गणेश कुमार झा)  
मुख्य वित्त पदाधिकारी

  
(धर्मेन्द्र सिंह) 1/2/2020  
कार्यकारी निदेशक।